[2022] 4 एस. सी. आर 753

मेसर्स अरावली पावर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड

विरुद्ध

वेदप्रकाश व अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 1692-1693/2020)

10 मई, 2022

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986: धारा-3 पर्यावरणीय क्षतिपूर्तिः- ताप विद्युत संयंत्रो की इकाइयों पर संचित फ्लाई ऐश का उपयोग एवं निपटान; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वैधानिक अधिसूचना द्वारा मिट्टी की वस्तुओं के निर्माताओं को 25 प्रतिशत राख मिलाना आवश्यक होता है, जिसे दिनांक 03.08.2007 तक अधिसूचना द्वारा संशोधित कर चरणबद्ध तरीके से निर्माण एजेंसियों को 100% फ्लाई ऐश का उपयोग करना आवश्यक किया गया; तथा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा समय अवधि दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ा दी गई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) मंत्रालय द्वारा जारी वैधानिक अधिसूचनाओं के अनुसार फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहे। एनजीटी द्वारा निर्देशित किया गया कि गैर-अनुपालन वाले टीपीपी के लिए, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 31.12.2017 से निर्धारित किया जाएगा; लंबित अवधि के दौरान मंत्रालय ने दिनांक 31.12.2021 की अधिसूचना द्वारा टीपीपी को पिछली अधिसूचनाओं को शामिल करते हुए संचित विरासती फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए दस साल का विस्तार दिया; जिसमें पहले की अधिसूचनाएं- एनजीटी द्वारा पारित आदेश की संपोषणीयता के संबंध में अभिनिर्धारित किया- एनजीटी ने दिनांक 25.01.2016 की अधिसूचना एवं फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए तय की गई विस्तारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफलता के कारण टीपीपी की गलती पाई; इसके पश्चात्वर्ती घटनाक्रम को देखते हुए एनजीटी के आदेश का आधार परिवर्तित किया। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2021 की अधिसूचना को ध्यान में रख कर एनजीटी के आदेशों को अपास्त कर दिया गया; इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, भंडारण एवं निपटान के संबंध में दिनांक 31.12.2021 की अधिसूचना की कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को फिर से अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 द्वारा निर्धारित पैरामीटर-परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016-आरआर 3(17), 3(23), 3(33), 3(34) पर फिर से विचार करना चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील क्रमांक 1692-1693/2020 से

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 834/2018 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.10.2019 से एवं मूल आवेदन संख्या 231/2019 में आदेश दिनांक 22.11.2019 से;

साथ में;

सिविल अपील क्रमांक 3236, 3171-3172, 3231, 3229-3230, 2947, 3235, 3237, 3398, 2838, 3040, 2713, 2760, 2803, 3232-3233, 2946, 3038-3039, 3234/2020, 4489/2022, 3173, 3575/2020, 4487-4488/2022, 3971-3972/2020, 225/2021, 4265/2022।

पक्षकारगण की ओर से अधिवक्ताः- सुश्री ऐश्वर्या भाटी एएसजी, अनिल ग्रोवर, सीनियर एएजी, तपेश कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा एएजी, अशोक के. गुप्ता, साजन पूवय्या, भारत संगल, मनीष सिंघवी, डॉ. मनीष सिंघवी, एस. सी. वर्मा, सीनियर एड., सुश्री नूपुर सिंघल, राहुल खुराना, सतीश कुमार, संजय कुमार विसेन, सुश्री रितु रस्तोगी, सुरेश कुमार भान, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, दीप राव पालेपू, सुश्री प्रेरणा प्रियदर्शिनी, सुश्री प्रियश्री शर्मा पी.एच., अर्जुन अग्रवाल, सुश्री सैयद एफ. आलम, अभिषेक गुप्ता, सुश्री इक्षिता सिंह, कपिल राघव, सुश्री सुनीता शर्मा, दिशांत भाटी, श्री वेंकटेश, सुश्री निष्ठा कुमार, सुहेल बटान, वी. एन. कन्नन, सुश्री रक्षा अग्रवाल, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, सुश्री बबिता कुशवाहा, नगरकट्टी कार्तिक उदय, कौस्तुभ शुक्ला, सुश्री रंजना रॉय गवई, सुश्री वसुधा सेन, विनीत वाधवा, सुश्री दिव्या रॉय, संजय गहलावत, केदारनाथ त्रिपाठी, कार्तिक सेठ, सुश्री श्रिया गिलहोत्रा, सुश्री गरीमा सक्सेना, साहिल नागपाल महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अनिकेत प्रसून, सुश्री पारुल शुक्ला, निशांत राव, सुश्री श्वेता वशिष्ठ, ई. सी. अग्रवाल, आदर्श त्रिपाठी, विक्रांत सिंह बैद, सौरभ यादव, गौरव, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, मुकेश कुमार मारोरिया, रजत नायर, उदय खन्ना, सुघोश सुब्रमण्यम, उदित खन्ना, सुश्री दीपबली दत्ता, अमरीश कुमार, सुश्री रुचि कोहली, सिद्धांत

कोहली, सुश्री सुहासिनी सेन, शांतनु शर्मा, अथुलेश कुमार, हरीश पांडे, अजय कुमार सिंह, राहुल जी. तनवानी, रुस्तम सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह, सारद। वेद्रकाश एवं एक एवं कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार सिंह, सुश्री अंजलि मिश्रा, सुश्री पल्लवी कुमारी, सुश्री आरती प्रसाद, अभिषेक कुमार, निकिलेश रामचंद्रन, शुभम सेठ, सुश्री मृणाल चौधरी, सुश्री नेहा जैन, प्रतीक समझौता, राजन परमार, राज बहादुर यादव, प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, मनोज कुमार। शर्मा, प्रवीण स्वरूप, सुश्री पायल स्वरूप, कौशिक चौधरी, श्रीमती अर्चना शर्मा, निशित अग्रवाल, हर्ष मिश्रा, अजमत हयात अमानुल्ला, सुश्री नित्या शर्मा, सुश्री अश्वथी एम. के., सुश्री शिरीन खजुरिया, अभिषेक अत्रे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, कुमार अनुराग सिंह, सुश्री तुलिका मुखर्जी, सुश्री आस्था श्रेष्ठ, बीनू शर्मा, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री शेवाल शेपाल, सनी चौधरी, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, मनीष यादव, सुश्री प्रतिभा यादव, प्रफुल्ल सिंह चंदेल, सिबो शंकर मिश्रा, राजेश कुमार नायक, एम. योगेश कन्ना, अजय विक्रम सिंह, सुश्री प्रियंका सिंह, सुश्री हिमांशी, नरेंद्र राणा, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, पशुपति नाथ राजदान, सुशील तोमर, प्रखर श्रीवास्तव, हर्ष सिंह रावत, अभिनव एस. रघुवंशी, सुप्रभ कुमार रोशन, सुश्री अपर्णा रोहतगी जैन, महेश कसाना, एस. के. वर्मा, अविजीत रॉय, मनीष कुमार चौधरी, सुश्री नमिता चौधरी, सुश्री राज लक्ष्मी सिंह, सुमीर सोधी, प्रणय जो सेबेस्टियन, जी. एम. कावूसा, सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमाठली प्रसाद, वी. एन. रघुपति, अपजल अंसारी, प्रकाश जादव, अर्जुन गर्ग, शिबाशीष मिश्रा, चिराग एम. श्रॉफ, अमनदीप मेहता, शुभेंदु सुवासिस दास, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, रोहित बंसल, रुपेश कुमार, सुश्री पंखुडी श्रीवास्तव, सुश्री नीलम शर्मा, फिरदौस कुतुब वानी, अक्षय वर्मा, पवन, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री बीनू टम्टा, नितिन मिश्रा, अश्विनी कुमार, अंशय धतवालिया, सुश्री कुमुद निझावन, आलोक गुप्ता, सुश्री ऋचा कपूर, कुणाल आनंद, सुश्री ज्योति जोंगलू, प्रा. सुश्री निवेदिता नायर, अंजनी कुमार सिंह, अरुण गोपालन नायर, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, सुश्री प्रीति सिंह, आकाश सिंह, निर्निमेश दुबे, श्री वेंकटेश, सुश्री कनिका चुघ, नितिन सलूजा, वी. एम. कन्नन, जतिन गुलियानी, सुहेल बटान, सुश्री प्रियंका, याशीश चंद्र, रमाकांत राय, सोमेश श्रीवास्तव, संदीप देवाशीष दास, सुश्री महक सूद, दीप रॉय, रोनी ओमन जॉन, पीयूष स्वामी, अर्शदीप सिंह, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा।

न्यायमूर्ति डॉ० धनंजय वाई चंद्रचूड द्वारा घोषित निर्णय ।

1. सिविल अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है।

2. संबंधित अपीलों का यह समूह ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग एवं निपटान से संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न हुआ है। एनजीटी के आदेशों में शामिल हैं; आदेश दिनांकित 24 अक्टूबर 2019, 22 नवंबर 2019, 12 फरवरी 2020, 21 अगस्त 2020, 16 सितंबर 2020 (21 अगस्त 2020 के आदेश के पुनर्विलोकन को अस्वीकार करना) एवं 28 सितंबर 2020 (12 फरवरी 2020 के आदेश के पुनर्विलोकन को अस्वीकार करना)। एक सारणीबद्ध चार्ट जो सिविल अपील एवं एनजीटी के संबंधित आदेशों को दर्शाता है, नीचे दिया गया है:-

मामले के विवरण	**आलोच्य आदेश का विवरण**	**आलोच्य आदेश का सार**
सीए नंबर 1692-1693/2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 834/2018 दिनांक 24.10.2019	यह प्रकरण मैसर्स एनटीपीसी अरावली पावर कंपनी (पी) लिमिटेड एवं मैसर्स झज्जर पावर लिमिटेड (सीएलपी इंडिया) जिला झज्जर हरियाणा की इकाइयों में संचित फ्लाई-ऐश से संबंधित है। एनजीटी ने निर्देश दिया कि मैसर्स इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झज्जर, हरियाणा के राख तालाबों में जमा फ्लाई-

	एनजीटी द्वारा पारित आदेश एमए नंबर 231/2019 ओए नंबर 834/2018 दिनांक 22.11.2019	ऐश की निकासी 31 12.2020 तक पूरी की जानी चाहिए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 50 लाख रुपये की पालन प्रतिभूति लेने का भी निर्देश दिया गया। चूंकि अरावली पावर कंपनी. एनजीटी के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, अतः अरावली पावर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाने एवं संशोधन के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया।
सीए नंबर 3236/ 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	यह मामला थर्मल पावर प्लांटों द्वारा उत्पन्न फ्लाई-ऐश के प्रबंधन से संबंधित था। टीपीपी को फ्लाई-ऐश के वैज्ञानिक निपटान के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अधीन फ्लाई-ऐश के 100% उपयोग एवं निपटान आवश्यक है (दिनांक 27.01.2016 की अधिसूचना एवं इसके पूर्ववर्ती

		अधिसूचनाओं पर आधारित) टीपीपी के गैर-अनुपालन की दशा में अधिसूचना दिनांक 27.01.2016 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कट-ऑफ तिथि यानी 31.12.2017 से निर्धारित किया जाना चाहिए। सीपीसीबी तदनुसार आलोच्य आदेश में निर्धारित फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना एवं वसूली कर सकता है एवं एनजीटी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
सीए नंबर 3171-3172 /2020	एनजीटी द्वारा पारित आम आदेश ओए नंबर 102/2014 एवं 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3231/ 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3229-3230/2020	एनजीटी द्वारा पारित आम आदेश ओए नंबर 102/2014 एवं 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान

सीए नंबर 2947 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3235 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3237 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3398 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 2838 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3040 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान

सीए नंबर 2713 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 2760 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 2803 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3232-3233/2020	एनजीटी द्वारा पारित आम आदेश ओए नंबर 102/2014 एवं 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 2946 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक	सीए नंबर 3236/2020 के समान

	12.02.2020	
सीए नंबर 3038-3039/2020	एनजीटी द्वारा पारित आम आदेश ओए नंबर 102/2014 एवं 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3234 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए डायरी नंबर 17940/2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3173 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3575 / 2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर	सीए नंबर 3236/2020 के समान

	117/2014 दिनांक 12.02.2020	
सीए डायरी नंबर 22073/2020	एनजीटी द्वारा पारित आम आदेश ओए नंबर 102/2014 एवं 117/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान
सीए नंबर 3971-3972/2020	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 172/2020 दिनांक 21.08.2020 एनजीटी द्वारा पारित आदेश आरए नंबर 25/2020 ओए नंबर	आवेदन द्वारा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिला झज्जर, हरियाणा के खिलाफ इस आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की मांग की गई कि उसने उत्पन्न फ्लाई ऐश का उचित निपटान नहीं किया, इससे क्षेत्र में कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2019 ओए क्रमांक 834/2018 के आलोक में आवेदन का निपटारा किया गया।। **[सीए संख्या 1692-1693/2020 में चुनौती दी गई]** एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2020 ओ.ए. क्रमांक 172/2020 का

	172/2020 दिनांक 16.09.2020	पुनर्विलोकन आवेदन खारिज कर दिया गया।
सीए नंबर 225/2021	एनजीटी द्वारा पारित आदेश आरए नंबर 27/2020 ओए नंबर 102/2014 दिनांक 28.09.2020	ओए नंबर 102/2014 एवं अन्य संबंधित मामलों में एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 का पुनर्विलोकन आवेदन खारिज कर दिया गया। **[एनजीटी द्वारा ओ.ए. क्रमांक 102/2014 में पारित आदेश दिनांक 12-02-2020 को एवं अन्य संबंधित मामलों को सीरिसल नंबर 1.1 एवं अन्य मामले में अपील में चुनौती दी गई है।**
सीए डायरी नंबर 8142/2021	एनजीटी द्वारा पारित आदेश ओए नंबर 102/2014 दिनांक 12.02.2020	सीए नंबर 3236/2020 के समान

3. कई ताप विद्युत संयंत्रों की इकाइयों में संचित फ्लाई ऐश के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे एनजीटी को अवगत कराया गया था। उपरोक्त आदेशों में अपने विश्लेषण के दौरान, एनजीटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि थर्मल पावर प्लांट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वैधानिक अधिसूचनाओं के अनुसार फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा है।

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 1999 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें मिट्टी की ईंटों, टाइलों, ब्लॉकों या निर्माण गतिविधियों के निर्माताओं को कम से कम 25 प्रतिशत राख मिलाना आवश्यक किया। 27 अगस्त 2003 की एक अधिसूचना द्वारा, उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन किए गए थे; जिसके तहत निर्माण ऐजेसियों को 3 अगस्त 2007 तक चरणबद्ध तरीके से फ्लाई ऐश का 100% उपयोग करना आवश्यक बनाया। 27 जनवरी 2016 की एक अधिसूचना द्वारा एक और संशोधन किया गया, जिसने फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की समय अवधि को 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया। एनजीटी ने निर्देश दिया कि गैर-अनुपालन वाले टीपीपी के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 31 दिसंबर 2017 से प्रभारी रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, जोकि 27 जनवरी 2016 की अधिसूचना में निर्धारित कट-ऑफ तारीख है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को एनजीटी द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करने और अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में परिणामी निर्देश जारी किये गये।

5. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 1999, अधिसूचना संख्या 763 (ई) के अधिक्रमण में जारी की गयी थी। अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने कोयला या लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्रों की राख के उपयोग के लिए मापदंड तैयार किए हैं। उक्त अधिसूचना का पैराग्राफ ए(5) 'विरासत राख' जो कि अप्रयुक्त संचित राख है, जिसे अधिसूचना के प्रकाशन से पहले संचित किया गया था, के उपयोग के लिए एक समय सीमा प्रदान करता हैः-

"अप्रयुक्त संचित राख अर्थात विरासत राख, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले संचित है का उपयोग थर्मल पावर प्लान्टों द्वारा उत्तरोत्तर इस प्रकार किया जायेगा कि विरासत राख का उपयोग इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्षो के भीतर पूर्ण हो जाएगा और यह उस वर्ष के वर्तमान संचालन के माध्यम से राख उत्पादन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अधिक होगा।

परन्तु नीचे उल्लिखित प्रतिशत में विरासती राख की न्यूनतम मात्रा का उपयोग संबंधित वर्ष के दौरान किया जाएगा तथा विरासती राख की न्यूनतम मात्रा की गणना थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्पादन के आधार पर की जाएगी।

प्रकाशन की तिथी से वर्ष	**पहले**	**दूसरे**	**तीसरे से दसवे**
विरासती राख का उपयोग (वार्षिक राख के प्रतिशत में)	कम से कम 20 प्रतिशत	कम से कम 35 प्रतिशत	कम से कम 50 प्रतिशत

परन्तु विरासती राख के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी जहां राख तालाब या तटबंध स्थिर हो गया हो और पुनर्ग्रहण, ग्रीनबेल्ट या वृक्षारोपण के साथ हुआ है तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त संबंध में प्रमाणित करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा प्रमाणीकरण सहित राख तालाब या तटबंध का स्थिरीकरण और पुनर्ग्रहण इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख तालाबों या तटबंधों में बची राख का उपयोग उपर्युक्त समय-सीमा के अंदर प्रगतिशील तरीके से किया जाएगा।

नोट: राख उपयोग लक्ष्य हासिल करना का दायित्व उप-पैराग्राफ (4) एवं (5) के अधीन तारीख 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। [.....] ”

6. 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना का परिणाम यह है कि पूर्व की अधिसूचनाएं, अधिसूचना की शर्तों में शामिल हो जाएंगी। एनजीटी ने आलोच्य आदेश में 25 जनवरी 2016 की अधिसूचना एवं फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए तय की गई विस्तारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफलता के कारण टीपीपी की गलती पायी। पश्चातवर्ती विकास को देखते हुए, एनजीटी के आदेश के आधार पर 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित तौर

तरीकों एवं समय सीमाओं को मौलिक रूप से बदल दिया जायेगा। नवीनतम अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी के आदेशों को अपास्त करने के साथ-साथ आलोच्य आदेश में निर्धारित अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि लागू देय होगी।

7. सुनवाई के दौरान कुछ विरोधी पक्षकारों की ओर से पेश अधिवक्ता ने 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना में विशेष रूप से फ्लाई ऐश की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, भंडारण एवं निपटान के संदर्भ में कुछ कमियों का उल्लेख किया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि फ्लाई ऐश से वायु एवं जल प्रदूषण न हो, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से फ्लाई ऐश का निपटान किया जाए। झारखंड राज्य की ओर से पेश विद्यवान एएजी श्री तपेश कुमार सिंह ने न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता, में न्यायालय की सहायता के लिए निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में 2011 की एसएलपी (सी) संख्या 30381 में इस न्यायालय की दो- न्यायाधीश पीठ के 24 सितंबर 2013 के आदेश पर भरोसा किया गया है, जब न्यायालय ने फ्लाई ऐश के परिवहन से संबंधित एक निविदा विवाद को जब्त कर लिया था। विवाद के निपटारे के दौरान, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:-

"अनुबंध एवं परिवहन कार्य का आवंटन निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगाः-

1. ठेकेदार, अधिनियम की धारा 5 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों, यदि कोई हो या अधिनियम की धारा 6 के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम की अनिर्वायता या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा थर्मल पावर स्टेशनों से लेकर परित्यक्त खदानों एवं अन्य गंतव्यों तक, जैसा भी मामला हो, राख जिसमें तालाब की राख भी शामिल होगी, के उपद्रव मुक्त परिवहन के संबंध में जारी निर्देश/परिपत्र यदि कोई हो का, पालन करेगा ।

2. भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी करना या कोई नियम बनाने तक या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई निर्देश/परिपत्र जारी करने तक, तब परिवहन कार्य उन ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगें कि केवल मशीनीकृत स्टील कवर कंटेनर ट्रकों का उपयोग करके परिवहन करे और तालाब की राख को ट्रक में लोड करने के बाद, इसे कंटेनर से बाहर उड़कर किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय खतरे का कारण बनने का अवसर न मिले और ऐसे ट्रैको की विशिष्ठताओ, यदि कोई हो तो, का विवरण निगम एवं उसके इंजीनियरों

पर छोड़ देते हैं, जिन्हें बोलीदाताओ के साथ की जाने वाली बातचीत के दौरान निर्दिष्ट किया जायेगा।

8. उपरोक्त कार्यवाही में 13 अगस्त 2013 के एक पूर्व आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीपीसीबी को पक्षकार बनाया था की, क्या उसने टीपीपी द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश, तलीय राख एवं तालाब राख सहित सभी प्रकार की राख की लोडिंग, अनलोडिंग उपयोग एवं उपद्रव मुक्त परिवहन के संबंध में कोई मानक निर्धारित किए हैं या कोई नियम बनाए हैं। कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय द्वारा यह जांचने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे कि क्या सीपीसीबी द्वारा कोई मानक या उपाय निर्धारित किए गए हैं। तथापि 22 जनवरी 2016 को, एसएलपी (सी) संख्या 30381/2011 एवं संबंधित मामलों को औचित्यहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।

9. उपरोक्त कार्यवाही के अलावा, सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 में निहित नियम 3(17), 3(23), 3(33) एवं 3(34) को शामिल करते हुए विनियामक प्रावधानों से अवगत कराया गया। उक्त संदर्भ में केंद्र सरकार इस प्रकार नियम बनाने के लिए बाध्य है की फ्लाई ऐश की लोडिंग, अनलोडिंग उपयोग एवं परिवहन का कार्य से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

10. इस स्तर पर, 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के पैराग्राफ ए(7) के प्रावधानों पर ध्यान देना तात्विक होगा जो इस प्रकार है:

"(7) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन, भंडारण एवं निपटान पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से किया जाता है एवं वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरती जाती हैं और उक्त स्थिति से इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को सूचित किया जाएगा।

11. अधिसूचना का पैराग्राफ ई प्रवर्तन, निगरानी, संपरीक्षा एवं रिपोर्टिंग से संबंधित है। पैराग्राफ ई के पैराग्राफ (3) एवं (5) नीचे उल्लेखित हैं:-

(3) इस अधिसूचना के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष के अधीन एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के सदस्य शामिल होंगे इसके साथ-साथ किसी भी संबंधित हितधारक से, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, समिति अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। समिति छिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट की समीक्षा करेगी तथा समिति छिमाही में कम से कम एक बार संबंधित हितधारकों को आमंत्रित करके इस अधिसूचना के अनुसार राख के उपयोग की निगरानी के लिए हितधारक परामर्श भी आयोजित करेगी। समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छिमाही रिपोर्ट सौंपेगी।

(5) थर्मल पावर प्लांट एवं उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राख निपटान के लिए अनुपालन ऑडिट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा एवं संपरीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी) एवं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) हर साल 30 नवंबर तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एवं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर गैर-अनुपालन वाले थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह समीक्षा करे कि क्या दिनांक 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित मापदंडों को 2016 के नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाये, जिस सीमा तक नियमों की प्रयोज्यता फ्लाई ऐश के उपयोग, परिवहन एवं निपटान से संबंधित है। इस अभ्यास के संचालन के अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

यह सुनिश्चित करेगा कि 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के पैराग्राफ ई(3) एवं ई(5) में परिकल्पित प्रवर्तन, निगरानी, संपरीक्षा एवं रिपोर्टिंग तंत्र को विधिवत निष्ठापूर्वक लागू किया जाए। यदि अधिसूचना में परिकल्पित सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए गये है, तो फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस निर्णय की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसा करेगा, ऐसा करने में निवारक सिद्धांतों का पालन किया जाये। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उचित विश्लेषण के बाद यह भी निर्धारित करेगा कि क्या अधिसूचना में कोई और संशोधन, उपरोक्त वर्णित 2016 के नियमों, अधीनस्थ कानून सहित अन्य संबंधित कानून के पालन हेतु आवश्यक है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी तरीके से फ्लाई ऐश के उपयोग, परिवहन एवं निपटान से संबंधित है।

13. उपरोक्त विवेचना तथा 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोच्य आदेश अपास्त किए जाते है।

14. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपीलों का निराकरण किया जाता है।

15. यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय को 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना की विधि मान्यता को बरकरार रखने के गुण-दोष के आधार पर निर्णय के रूप में नहीं माना जाए। अधिसूचना की शर्तों से असंतुष्ट कोई भी पक्ष उचित फोरम के समक्ष विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. सिविल अपील संख्या 3171-3172/2020 का आईए संख्या 111919/2020 को कार्यान्वित करने की अनुमति दी जाती है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो निराकृत माना जाए।

अपील निराकृत की जाती है।

सत्यम देवलिया
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
केसली, जिला सागर, म.प्र.